<u>न्यायालय- अपर सेशन न्यायाधीश, नोखा जिला- बीकानेर।</u>

पीठासीन अधिकारी **मुकेश कुमार-प्रथम**
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

एनडीपीएस प्रकरण संख्या 235/2022 (220/2017)
सी.आई.एस.संख्या 235/2022

राजस्थान राज्य

बनाम

रामचन्द्र पुत्र हरखनाथ निवासी साधुना, पुलिस थाना पांचू, जिला बीकानेर।

-अभियुक्त-

अपराध अन्तर्गत धारा 8/15 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम,1985

<u>उपस्थितिः</u>

(1) अपर लोक अभियोजक- राज्य की ओर से।
(2) श्री राजवीर डूडी, अधिवक्ता- अभियुक्त की ओर से।

<u>निर्णय</u> **<u>दिनांकः-04.05.2026</u>**

संक्षेप में अभियोजन कहानी के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 28.11.2016 को थानाधिकारी, पुलिस आरक्षी केन्द्र, नोखा, जिला बीकानेर, दरजाराम को जरिये टेलीफोन मुखबीर खास से इत्तिला मिलने पर उसकी फर्द 42 एनडीपीएस एक्ट तैयार कर रोजनामचा में दर्ज कर वक्त 08.20 एएम पर थानाधिकारी दरजाराम मय लालचन्द एएसआई, लक्ष्मणराम एचसी-166, अमृतलाल एफसी-879, गाड़ी सरकारी चालक प्रेमाराम एफसी-1416 मय अनुसंधान बॉक्स के मुताबिक इत्तिला रवाना होकर जाब्ता को इत्तिला से अवगत करवाते हुए रोड़ा गांव चौराहा से कक्कू की तरफ जाने वाली सड़क पर जाने लगे तो सामने से इत्तिला के मुताबिक एक कार इण्डिका सिल्वर रंग की तेज गति से आती दिखाई दी जिसके चालक ने पुलिस जीप को देखकर अचानक अपने वाहन को गांव की गलियों की तरफ अपनी गाड़ी घुमाकर गाड़ी

भगाई तो चालक सीट पर बैठे शख्स को हमराही जाब्ता के लक्ष्मणराम एचसी-166 व अमृतलाल एफसी-879 ने बताया कि यही रामचन्द्र सिद्ध है, जिसका पीछा सरकारी गाड़ी से किया तो उक्त शख्स गांव की तंग गलियों में कुछ दूरी तक आगे भगाकर गाड़ी चालू हालत में छोड़कर घरों के अन्दर से होते हुए भाग गया। उक्त वाहन इण्डिका के पास थानाधिकारी रूका व हमराही जाब्ता को शख्स की तलाशी में भेजा, मगर कुछ समय बाद हमराही जाब्ता ने वापस आकर बताया कि उक्त शख्स रामचन्द्र पुत्र हरखनाथ गांव के घरों की दीवारों को फांदकर भागने में सफल रहा। उक्त वाहन में इत्तिला के मुताबिक व शख्स द्वारा अपने वाहन को छोड़कर भागने के कारण वाहन के अन्दर की तलाशी लेने हेतु स्वतंत्र मौतबिर तलब करने हेतु लक्ष्मणराम व अमृतलाल को तहरीर देकर रवाना किया जो कुछ समय बाद वापिस आये और बताया कि पुलिस कार्यवाही में कोई भी व्यक्ति मौतबिर बनने को तैयार नहीं है जिस पर थानाधिकारी द्वारा भी आसपास के मकान मालिकों व राहगीरों से मौतबिर बनने हेतु कहा गया मगर कोई व्यक्ति मौतबिर बनने को तैयार नहीं हुआ जिस पर वाहन की तलाशी हेतु हमराही जाब्ता के लालचन्द व लक्ष्मणराम को मौतबिर मामुर कर तलाशी ली तो वाहन के पीछे की सीट व चालक सीट के बीच दो प्लास्टिक कटटे जिसमें एक कटटा भरा हुआ मुंह बंधा हुआ सफेद रंग का व दूसरा कटटा आधे से कम भरा हुआ पीले रंग का मुंह बंधा हुआ मिले जिनको खोलकर देखा तो सफेद रंग के प्लास्टिक कटटा में डोडा पोस्त डंठल व दूसरे कटटे में डोडा पोस्त पीसकर चूरा बनाया हुआ है, जो बिना लाईसेंस व परमिशन के शख्स रामचन्द्र द्वारा अपने वाहन में परिवहन करना व अपने कब्जे में रखना जुर्म धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट का अपराध होने से उक्त वजह सबूत कब्जा पुलिस में लेने के लिये नाप तौल करने हेतु इलैक्ट्रोनिक कांटा लाने के लिये लक्ष्मणराम एचसी को रवाना किया जो कुछ समय बाद इलैक्ट्रोनिक कांटा बैटरी चालित लेकर आया जिस पर सफेद प्लास्टिक कटटा का वजन किया तो कुल वजन कटटे सहित 11.500 किलोग्राम डोडा पोस्त डंठल हुआ जिसमें से 500-500 ग्राम डोडा पोस्त डंठल बतौर सैम्पल व कन्ट्रोल सैम्पल निकालकर कपड़े की थैली में डालकर सील मोहर कर मार्क-ए व बी अंकित किया व शेष डोडा पोस्त डंठल को उसी कटटे में सील मोहर कर मार्क-सी अंकित किया। इसी प्रकार दूसरे पीले रंग के कटटे का वजन किया तो कुल वजन कटटे सहित 6.700 किलोग्राम डोडा पोस्त चूरा हुआ जिसमें से 500-500 ग्राम डोडा पोस्त चूरा बतौर सैम्पल व कन्ट्रोल सैम्पल निकालकर कपड़े की थैली में डालकर सील मोहर कर मार्क-डी व ई अंकित किया व शेष डोडा पोस्त चूरा को उसी कटटे में सील मोहर कर मार्क-एफ अंकित किया। उपरोक्त डोडा पोस्त को अपने कब्जे में रखकर परिवहन करने में प्रयुक्त वाहन इण्डिका कार नं. जीजे-05/जेएच-3847 का मुलायजा किया तो वाहन के आगे

पीछे नम्बर प्लेट पर उक्त नम्बर अंकित है व वाहन इण्डिका के पीछे अंग्रेजी में Indica tata gls etA लिखा है तथा आगे बोनट पर व चालक साईड में फाटक के नीचे चैसिस नं. MAT600634APK81113 अंकित है, वाहन बरंग सिल्वर की डिग्गी में गैस किट व गैस की टंकी लगी है जो अवैध डोडा पोस्त के परिवहन में उपयोग लिये जाने से कब्जा पुलिस में लिया गया तथा अवैध डोडा पोस्त डंठल व चूरा को जरिये फ्रद जब्ती में लेकर वजह सबूत थानाधिकारी की सील डीआरबी से सील मोहर कर नमूना सील चिट अलग से तैयार की जाकर मौका की कार्यवाही की गई... वगैरा-वगैरा। अवैध अभिग्रहण के कारण प्रथम सूचना 609/2016 धारा 8/15 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम (एतस्मिनपश्चात् अधिनियम) के अन्तर्गत पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। तलाशी एवं अभिग्रहण की सूचना उच्चाधिकारियों को प्रेषित की गई। जब्त किये गये नमूने विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर को प्रेषित किए गए, जहाँ वे डोडा पोस्त डंठल व चूरा होना प्रमाणित हुआ।

2. अनुसंधान के उपरान्त अभियोग पत्र अभियुक्त रामचन्द्र के विरूद्ध धारा 8/15 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम में जिला न्यायालय बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर तत्कालीन न्यायालय द्वारा विचार करने के पश्चात् अभियुक्त रामचन्द्र के विरूद्ध धारा 8/15 अधिनियम के अन्तर्गत अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया। कालान्तर में यह प्रकरण अन्तरित होकर न्यायालय-हाजा को दिनांक 01.09.2022 को प्राप्त हुआ।

3. तत्कालीन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त रामचन्द्र के विरूद्ध धारा 8/15 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अपराध के आरोप पृथक से विरचित किया जाकर सुनाया व समझाया गया, तो अभियुक्त ने आरोप को अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य में पीडब्ल्यू-1 अजय सिंह, पीडब्ल्यू-2 हेमाराम, पीडब्ल्यू-3 लक्ष्मणराम, पीडब्ल्यू-4 श्रीमती सुमन शेखावत, पीडब्ल्यू-5 प्रेमाराम, (सहबन से दो बार अंकित) पीडब्ल्यू-5 कालूराम, पीडब्ल्यू-6 प्रीतम, पीडब्ल्यू-7 अमृतलाल, पीडब्ल्यू-8 दरजाराम को परीक्षित करवाया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के दृष्टिगत शेष गवाहान की तलबी बंद की गई जिस पर साक्ष्य अभियोजन समाप्त हुई एवं प्रलेखीय साक्ष्य में अग्रेषण पत्र जारी करवाने हेतु थानाधिकारी

द्वारा जारी पत्र प्रदर्श पी-1, अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी-2, एफएसएल जयपुर में वजह सबूत जमा करवाने की रसीद प्रदर्श पी-3, मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी-4, फर्द जब्ती प्रदर्श पी-5, वाहन की तलाशी हेतु स्वतंत्र मौतबिर तलबी बाबत् जारी नोटिस प्रदर्श पी-6, जब्ती में स्वतंत्र मौतबिर बनने के लिये लालचन्द व लक्ष्मणराम को दिया गया नोटिस प्रदर्श पी-7, इलैक्ट्रोनिक कांटा लाने हेतु लक्ष्मणराम को दिया गया नोटिस प्रदर्श पी-8, कार्यवाही में प्रयुक्त नमूना सील व सील की फर्द जब्ती प्रदर्श पी-9, नक्शा मौका प्रदर्श पी-10, हालात मौका प्रदर्श पी-10ए, फर्द गिरफतारी अभियुक्त रामचन्द्र प्रदर्श पी-11, फर्द तस्दीक घटनास्थल बरामदगी प्रदर्श पी-12, तस्दीक का नक्शा मौका प्रदर्श पी-13, फर्द इत्तिला अभियुक्त रामचन्द्र प्रदर्श पी-14, चाक एफआईआर प्रदर्श पी-15, मुताबिक इत्तिला एसपी कार्यालय बीकानेर को भेजी गई सूचना प्रदर्श पी-16, फर्द इत्तिला धारा 42 एनडीपीएस एक्ट प्रदर्श पी-17, पुलिस अधीक्षक को धारा 57 एनडीपीएस एक्ट की सूचना का पत्र प्रदर्श पी-18, एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी-19, धारा 52ए एनडीपीएस एक्ट हेतु मजिस्ट्रेट नियुक्ति का पत्र प्रदर्श पी-20, रोजनामचा रपट की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी-21, धारा 52ए एनडीपीएस एक्ट की कार्यवाही के समय लिये गये फोटोज प्रदर्श पी-22 लगायत प्रदर्श पी-42, भौतिक सत्यापन की कार्यवाही बाबत् लिखाया गया पत्र प्रदर्श पी-43, भौतिक सत्यापन से संबंधित कागजात भिजवाने बाबत् श्रीमान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नोखा द्वारा लिखा गया पत्र प्रदर्श पी-44, दिनांक 24.12.2016 की न्यायालय- अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नोखा की आदेशिका प्रदर्श पी-45, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट प्रदर्श पी-46, भौतिक सत्यापन का प्रमाण पत्र प्रदर्श पी-47, एफएसएल जमा करवाने की रसीद प्रदर्श पी-48, धारा 52ए एनडीपीएस एक्ट की कार्यवाही के दौरान ली गई सीडी आर्टिकल-ए प्रदर्शित करवाए गए।

5. अभियुक्त के अभिकथन अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता पृथक से लेखबद्ध किये जाने पर अभियुक्त ने गवाहान द्वारा स्वयं को फंसाने के लिये झूठे कथन करना बताते हुए स्वयं को निर्दोष होना बताया तथा साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा।

6. उभय पक्षों की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया गया।

7. प्रस्तुत प्रकरण के निर्णयार्थ निम्नांकित अवधारणार्थ बिन्दु अभिनिर्धारित किया जाता हैः-

1.क्या दिनांक 28.11.2016 को वक्त 10.10 एएम पर या उसके लगभग थानाधिकारी दरजाराम द्वारा मुखबीर से प्राप्त सूचना के अनुसरण में गली आम गांव रोड़ा नोखा पर अभियुक्त की आधिपत्यशुदा इण्डिका कार नं. जीजे-05/जेएच-3847 में रखे दो प्लास्टिक कटटों की विधिवत् तलाशी लेने पर कुल 18 किलो 200 ग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्त चूरा व डंठल अभिग्रहित किया और रासायनिक परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार उसमें अफीम के मुख्य घटक phenanthrene, alkaloids namely morphine, codeine and thebaine पाये गये, जिसके आधिपत्य/परिवहन हेतु अभियुक्त के पास कोई अनुज्ञा पत्र नहीं था?

2. यदि हां, तो उचित दण्ड क्या होगा?

8. दौराने बहस विद्वान अपर लोक अभियोजक ने अपनी बहस में कथन किया है कि हस्तगत मामले में जब्ती अधिकारी पीडब्ल्यू-8 दरजाराम ने अपने मुख्य परीक्षण में अभियोजन कहानी की पूर्णतः ताईद की है एवं मुखबीर की इत्तिला पर वाहन इण्डिका कार सिल्वर रंग नं. जीजे-05/जेएच-3847 में पीछे व चालक की सीट के बीच में दो प्लास्टिक कटटों में क्रमशः 11.500 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्त डंठल व 6.700 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्त चूरा कुल 18 किलो 200 ग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्त डंठल व चूरा बरामद किया है, जिस वाहन को अभियुक्त मौका पर छोड़कर भागने में सफल हो गया जिसे गवाहान लक्ष्मणराम व अमृतलाल द्वारा मौके पर पहचान लिया गया। अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित समस्त गवाहान ने अभियोजन कहानी की पूर्णतः पुष्टि की है। बरामद सामग्री की 52ए एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही करायी गयी एवं अनुसंधान अधिकारी ने भी अपने सम्पूर्ण अनुसंधान से अभियुक्त के विरूद्ध जुर्म प्रमाणित पाया तथा अभियोजन पक्ष ने अपने गवाहों एवं प्रदर्शित दस्तावेजों के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप प्रमाणित करना बताते हुए अभियुक्त को आरोपित अपराध के आरोप में दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया।

9. जबकि इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने अपनी बहस में कथन किया है कि हस्तगत मामले में अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। एनडीपीएस एक्ट के आज्ञात्मक प्रावधानों की पालना

नहीं की गयी है। प्रकरण में अभियुक्त की पहचान साबित नहीं है तथा जब्तशुदा वाहन से अभियुक्त का कोई संबंध नहीं है। फार्म नं.28 अभियुक्त की हस्तलिपि में नहीं है, उस पर अभियुक्त व आरटीओ के हस्ताक्षर नहीं है जिस व्यक्ति के हस्ताक्षर है, उसे अनुसंधान अधिकारी ने गवाह नहीं रखा। अनुसंधान अधिकारी श्रीमती सुमन शेखावत को घटनास्थल पर घटना से संबंधित कोई अलामात नहीं मिले तथा उसने किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई जुर्म भी प्रमाणित नहीं पाया। अन्य अनुसंधान अधिकारी न्यायालय में परीक्षित नहीं हुआ है। अभियुक्त को मौका पर पहचानने वाले गवाहान के कथनों में अत्यधिक विरोधाभास है, जो सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति की राय में कत्तई सम्भव प्रतीत नहीं होता। वाहन की तलाशी किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में नहीं लिवाई गई। अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित करने में विफल रहा है। ऐसे में अभियुक्त को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया।

10. **<u>विचारणीय बिन्दु संख्याः-एक</u>**

उभय पक्षों के तर्कों पर मनन् किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरोक्त अवधार्य बिन्दु के अभिनिर्धारण हेतु अभिलेख पर आई अभियोजन साक्ष्य का विवेचन व न्यायालय का निष्कर्ष निम्नानुसार हैंः-

11. हस्तगत मामले में जब्ती अधिकारी पीडब्ल्यू-8 दरजाराम ने अपने मुख्य परीक्षण में स्पष्ट कथन किया कि मौका पर अभियुक्त गिरफतार नहीं हुआ, बल्कि मौका पर एक सिल्वर रंग की कार इण्डिका जब्त हुई थी, जिसमें से अवैध मादक पदार्थ बरामद हुआ और जब्ती अधिकारी पीडब्ल्यू-8 के अनुसार जब्ती अधिकारी के साथ जाब्ता में शामिल लक्ष्मणराम व अमृतलाल ने बताया था कि रामचन्द्र सिद्ध है, जो इण्डिका गाड़ी छोड़कर भागा है। इण्डिका गाड़ी के नम्बर जीजे-05/जेएस-3847 थे। इस प्रकार हस्तगत मामले में मौका पर अभियुक्त को पहचानने वाले गवाह अमृतलाल व लक्ष्मणराम की साक्ष्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है। साथ ही जब्तशुदा इण्डिका कार नं.जीजे-05/जेएस-3847 भी महत्वपूर्ण है।

12. इस संबंध में जब्तशुदा कार इण्डिका जिसके नं.जीजे-05/जेएस-3847 है, उस वाहन में अभियुक्त की पहचान के संबंध में कोई

दस्तावेज नहीं मिला तथा जब्ती अधिकारी पीडब्ल्यू-8 दरजाराम ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया कि वाहन इण्डिका कार के संबंध में मोटरवाहन अधिनियम का फार्म नं.28 उसके द्वारा नहीं लिया गया था। यह भी स्वीकार किया कि उक्त कागज भी मौका पर गाड़ी में नहीं मिला था। यह भी स्वीकार करता है कि फार्म नं.28 में मुलजिम के हस्ताक्षर नहीं है, न ही वह फार्म मुलजिम की हस्तलिपि में है। आगे कथन किया कि फार्म नं.28 पर आरटीओ अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है, वाहन मालिक के हस्ताक्षर हैं लेकिन हस्तगत मामले में वाहन मालिक से कोई पूछताछ नहीं की गई, न ही वाहन मालिक को हस्तगत प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी द्वारा गवाह रखा गया। ऐसे में जो दस्तावेज फार्म नं.28 पत्रावली में संलग्न है, उसका कोई औचित्य नहीं है क्योंकि उक्त दस्तावेज न तो जब्तशुदा वाहन में मिला, न ही इस दस्तावेज पर अभियुक्त के हस्ताक्षर हैं, न ही उक्त दस्तावेज अभियुक्त की हस्तलिपि में है, न ही इस दस्तावेज पर जिला परिवहन अधिकारी के हस्ताक्षर हैं। ऐसे में विधि की दृष्टि में उक्त दस्तावेज का कोई औचित्य नहीं है और इस दस्तावेज से अभियुक्त के विरूद्ध किसी तरह का तथ्य साबित नहीं होता है।

13. मौका पर अभियुक्त को पहचानने वाले गवाहान की साक्ष्य का अवलोकन करें तो पीडब्ल्यू-3 लक्ष्मणराम अपने प्रतिपरीक्षण में कथन करता है कि मुलजिम के दादा का नाम उसे पता नहीं। मुलजिम का ससुराल कहां है, पता नहीं। उसके बच्चे कितने हैं, ध्यान नहीं। मुलजिम पर पहले से मुकदमे हैं क्या? इसकी भी जानकारी नहीं। मुलजिम उसका रिश्तेदार नहीं। साक्षी ने आगे अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया कि मुलजिम, साक्षी को रास्ते में मिला, बाजार में मिला, इस कारण जानता है। बाजार में राह चलते उसने पूछ लिया था, इस कारण जानता है। आगे जब साक्षी से प्रश्न किया गया कि आप राह चलते व्यक्ति को पूछते हैं क्या, कि आपका नाम क्या है तो साक्षी ने उत्तर दिया कि मैं राह चलते व्यक्तियों को नहीं पूछता कि आपका नाम क्या है। आगे साक्षी ने कथन किया कि मुलजिम को करीब आधा किमी. दूर से देखा था, यह तथ्य स्वयंमेव संदेहास्पद है, क्योंकि पुलिस जीप में अमृतलाल व लक्ष्मणराम, जब्ती अधिकारी पीडब्ल्यू-8 दरजाराम की साक्ष्य के अनुसार पीछे बैठे थे और पुलिस जीप में पीछे बैठे व्यक्ति द्वारा आधा किमी. दूर से कार चला रहे व्यक्ति को पहचान लिया जाये, यह तथ्य कत्तई सम्भव प्रतीत नहीं

होता। केवल अपनी साक्ष्य में यह कथन कर देने कि मुलजिम को पहचान लिया, उससे यह साबित नहीं होता कि मौका पर मुलजिम को पहचाना हो क्योंकि प्रतिपरीक्षण से यह स्पष्ट आया है कि पीडब्ल्यू-3 लक्ष्मणराम ने आधा किमी. दूर से मुलजिम को पहचाना, जो स्पष्ट झूठा कथन है और स्वीकार योग्य नहीं है। ऐसे में इस साक्षी की साक्ष्य से यह प्रथम दृष्टया ही साबित नहीं होता कि इस साक्षी ने मौका पर मुलजिम को पहचाना हो। इसके अतिरिक्त न्यायालय में भी अभियुक्त की शिनाख्त इस साक्षी द्वारा नहीं की गई।

14. अन्य साक्षी पीडब्ल्यू-7 अमृतलाल अपने प्रतिपरीक्षण में कथन करता है कि गाड़ी में जो व्यक्ति था, वह साक्षी की नोखा पोस्टिंग के दौरान बाजार में कई बार मिलता था और बातचीत हो जाती थी, इस कारण मैं जानता हूं लेकिन जब साक्षी से पूछा कि अभियुक्त का ससुराल कहां है तो साक्षी ने उत्तर दिया कि उसे जानकारी नहीं है। जब साक्षी से पूछा कि अभियुक्त के लड़के कितने हैं, तो साक्षी ने कहा कि जानकारी नहीं है। उसके दादा का नाम क्या है, तो कहा जानकारी नहीं है। आगे कथन किया कि उन्होंने अभियुक्त को 50-60 मीटर दूर से पहचाना था। 50-60 मीटर का अर्थ होता है कि लगभग 160 से 190 फीट की दूरी से पहचानना, जो भी उस व्यक्ति द्वारा, जो पुलिस जीप में पीछे बैठा हो और कार में बैठे व्यक्ति को पहचान ले, उक्त तथ्य भी सम्भव प्रतीत नहीं होता है और स्वीकार योग्य नहीं है। इस साक्षी ने स्वयं ने कथन किया कि वह सरकारी गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठा हुआ था। यह भी कथन किया कि मुलजिम से कभी उसका कोई व्यक्तिगत काम नहीं पड़ा। मुलजिम का चेहरा साक्षी ने कार से उतरने के बाद पहचाना हो, ऐसा कथन भी नहीं किया क्योंकि साक्षी ने कथन किया कि भागते समय उसे मुलजिम दिख रहा था। चेहरा उसने पहले देखा था, भागते समय केवल पीठ ही दिखाई दे रही थी लेकिन चेहरा पुलिस जीप में पीछे बैठे व्यक्ति द्वारा लगभग 190 फीट दूर चलती कार में बैठे व्यक्ति का दिख जाये, ऐसा कत्तई सम्भव नहीं है। इस प्रकार अभियुक्त की मौका पर पहचान प्रथम दृष्टया ही साबित नहीं है। न्यायालय में भी उक्त साक्षी से अभियुक्त की शिनाख्त नहीं करवाई गई है।

15. अनुसंधान अधिकारी पीडब्ल्यू-4 श्रीमती सुमन शेखावत ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया कि घटनास्थल पर घटना के अलामात नहीं थे। उसने आस-पड़ौस के लोगों से घटनास्थल के बारे में

तस्दीक नहीं ली और अपने अनुसंधान में किसी व्यक्ति के विरूद्ध जुर्म भी प्रमाणित नहीं पाया। इस प्रकार इस साक्षिया ने अभियुक्त के विरूद्ध जुर्म भी प्रमाणित नहीं पाया।

16. पीडब्ल्यू-5 प्रेमाराम भी अपने प्रतिपरीक्षण में कथन करता है कि गाड़ी में जो व्यक्ति था, उसको वह नहीं जानता, न ही पहचान सकता, उसने मुलजिम को मौके पर नहीं पहचाना। इसी तरह पीडब्ल्यू-6 प्रीतम जो घटनास्थल बरामदगी प्रदर्श पी-12 का साक्षी है। उक्त साक्षी भी अपने प्रतिपरीक्षण में कथन करता है कि घटनास्थल का आस-पड़ौस उसे लम्बा समय होने से याद नहीं, जिस समय घटनास्थल पर गया, वहां घटना से संबंधित कोई अलामात नहीं थे। घटनास्थल आबाद एरिया है, जहां के आस-पड़ौस के लोगों से पूछताछ नहीं की। साक्षी यह भी स्वीकार करता है कि उसे घटनास्थल के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

17. अभियुक्त की मौका पर उपस्थिति के संबंध में जब्ती अधिकारी से जब तकनीकी साक्ष्य के संबंध में प्रश्न पूछा गया तो साक्षी ने कथन किया कि उसने मुलजिम की उपस्थिति बाबत् कोई कॉल-डिटेल निकलवाई ही नहीं और मुलजिम की मौका पर उपस्थिति के संबंध में कोई विडियो फुटेज भी पत्रावली पर नहीं है और वाहन की तलाशी में मुलजिम की पहचान बाबत् कोई दस्तावेज भी नहीं मिला। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि जिस वाहन से अवैध मादक पदार्थ बरामद हुआ, वह मुलजिम के नाम से नहीं था और साक्षी ने ऐसा कोई दस्तावेज भी नहीं लिया जिससे यह साबित होता हो कि जब्त वाहन का स्वामी मुलजिम हो। इस प्रकार तकनीकी साक्ष्य से भी अभियुक्त के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई तथ्य साबित नहीं होता है।

18. इसके अतिरिक्त जब मुलजिम मौका से भाग गया था तब वाहन की तलाशी किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में लिवाने के संबंध में जब जब्ती अधिकारी से प्रश्न किया तो साक्षी ने कथन किया कि उसने वाहन की तलाशी किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष नहीं ली। साक्षी ने यह भी कथन किया कि सक्षम अधिकारी के कार्यालय व आवास घटनास्थल से मात्र 4-5 किमी. की दूरी पर थे, फिर भी उनकी उपस्थिति में जब्तशुदा वाहन की तलाशी नहीं लिवाना अभियोजन पक्ष की कहानी पर प्रश्नचिन्ह उत्पन्न करता है। इस प्रकार जब्तशुदा वाहन से अभियुक्त का कोई संबंध स्थापित नहीं हुआ, जो गवाह अभियुक्त को मौका पर पहचानना बताते हैं, उनके प्रतिपरीक्षण में

स्पष्ट है कि जिन परिस्थितियों में वे अभियुक्त को पहचानना बताते हैं, सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति की राय में उन परिस्थितियों में किसी भी व्यक्ति की पहचान सम्भव नहीं है। इसके अतिरिक्त अभियुक्त को पहचानते तो उसके बारे में सामान्य जानकारी भी रखते लेकिन जब अभियुक्त के पारिवारिक जानकारी के संबंध में प्रतिपरीक्षण में गवाह लक्ष्मणराम व अमृतलाल को प्रश्न पूछे गये तो उन्होंने एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। अभियुक्त के विरूद्ध कोई तकनीकी साक्ष्य भी नहीं है। अनुसंधान अधिकारी की दौराने विचारण मृत्यु होने के कारण वह परीक्षित नहीं हुआ। ऐसे में शेष साक्ष्य अखण्डित रहे तो भी कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकलता। ऐसे में अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। अतः अभियुक्त धारा 8/15 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अपराध में संदेह का लाभ प्राप्त कर दोषमुक्त घोषित किये जाने योग्य है।

-<u>आदेश-</u>

19. परिणामतः अभियुक्त **रामचन्द्र** पुत्र हरखनाथ निवासी साधुना, पुलिस थाना पांचू, जिला बीकानेर को धारा 8/15 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

20. अभियुक्त इस प्रकरण में जमानत पर हैं। अतः इस दोषमुक्ति के परिणामस्वरूप उसके जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

21. प्रकरण में जब्तशुदा वजह सबूत बाद गुजरने मियाद अपील अवधि नियमानुसार नष्ट किया जावे।

(मुकेश कुमार-प्रथम)

22. निर्णय आज दिनांक 04.05.2026 को लिखाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाया गया

(मुकेश कुमार-प्रथम)